प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-बस्ती

दिनांक-09.09.2026

थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा अवैध रुप से राहगीरों की गाड़ियों को जबरन कब्जे में लेकर वसूली करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त कार को किया गया बरामद-

थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा अवैध रुप से राहगीरों की गाड़ियों को जबरन कब्जे में लेकर वसूली करने के संबंध में थाना स्थानीय पर दिनांक-06.09.2026 को पंजीकृत मु0अ0सं0-238/2026 धारा-308(5) BNS व दिनांक-08.09.2026 को पंजीकृत मु0अ0सं0-241/2026 धारा-308(5) BNS से **सम्बन्धित 02 अभियुक्तों यथा क्रमशः 1-**आदर्श सिंह पुत्र अनिल सिंह **2-**शंशाक पाण्डेय पुत्र केदारनाथ पाण्डेय को स्विफ्ट कार गाड़ी संख्या-UP51BU5308 के साथ दिनांक-09.09.2026 को समय करीब 02:35 बजे रेहरवा टिनिच मार्ग नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर **उनके कब्जे से 1-**दो मोटरसाइकिल यथा क्रमशः **1A-**होण्डा एक्सट्रीम गाड़ी संख्या-UP58AJ7456, **1B-**बजाज पल्सर गाड़ी संख्या-BR55D5814, **2-**बजाज प्लैटिना मोटरसाइकिल गाड़ी संख्या-UP51BL4244 जोकि दिनांक-07.09.2026 को बरामद किया गया था, एवं **3-**एक अदद स्विफ्ट कार गाड़ी संख्या-UP51BU5308 (घटना कारित करते वक्त प्रयुक्त किये जाने वाला वाहन) बरामद कर स्विफ्ट कार को अन्तर्गत धारा-207 MV Act में सीज कर अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है |

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- आदर्श सिंह पुत्र अनिल सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी हथिनाग थाना बजीरगंज जनपद गोण्डा (उ०प्र०) |

2- शशांक पाण्डेय पुत्र केदारनाथ पाण्डेय उम्र करीब 21 वर्ष निवासी बैदोलिया थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |

बरामदगी का विवरण-

1- दो मोटरसाइकिल यथा क्रमशः**1A-** होण्डा एक्सट्रीम गाड़ी संख्या-UP58AJ7456, **1B-** बजाज पल्सर गाड़ी संख्या-BR55D5814|

2- बजाज प्लैटिना मोटरसाइकिल गाड़ी संख्या-UP51BL4244 जोकि दिनांक-07.09.2026 को बरामद किया गया था |

3- एक अदद स्विफ्ट कार गाड़ी संख्या-UP51BU5308 (घटना कारित करते वक्त प्रयुक्त किये जाने वाला वाहन) |

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-27.08.2026 को **04 अभियुक्तों यथा क्रमशः 1-**आदर्श सिंह, **2-**शशांक पाण्डेय एवं **A-**विशाल भारद्वाज व **B-**अमन सिंह द्वारा गुलाब यादव पुत्र रामनरेश यादव निवासी ग्राम बैसार थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज (उ०प्र०) के **1A-**होण्डा एक्सट्रीम गाड़ी संख्या-UP58AJ7456 को कस्बा कप्तागनगंज सी०एच०सी० गेट के पास से ले लिया गया था एवं दिनांक-06.09.2026 को **C-**अभिषेक यादव के बताने पर **2-**शशांक पाण्डेय एवं **A-**विशाल भारद्वाज व **B-**अमन सिंह ने विजय पाल पुत्र खेमई निवासी ग्राम परमेश्वरपुर पोस्ट परसांव थाना लालगंज जनपद बस्ती को मृत्यु का भय दिखाकर उनकी **2-**बजाज प्लैटिना गाड़ी संख्या-UP51BL4244 को जियो पेट्रोल पम्प दुधौरा से ले लिए थे तथा दिनांक-27.08.2026 को बिहार राज्य निवासी संजय मेहता के **1B-**बजाज पल्सर गाड़ी संख्या-BR55D5814 को भी ले लिये थे, जिसके संबंध में थाना कप्तानगंज पर दिनांक-06.09.2026 को मु0अ0सं0-238/2026 धारा-308(5) BNS व दिनांक-08.09.2026 को मु0अ0सं0-241/2026 धारा-308(5) पंजीकृत कर विवेचनात्मक व अन्य आवश्यक कार्यवाही के क्रम में **संबंधित 02 अभियुक्तों यथा क्रमशः 1-**आदर्श सिंह **2-**शंशाक पाण्डेय को स्विफ्ट कार गाड़ी संख्या-UP51BU5308 के साथ दिनांक-09.09.2026 को समय करीब 02:35 बजे रेहरवा टिनिच मार्ग नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 मोटरसाइकिल बरामद किया गया एवं स्विफ्ट कार को अन्तर्गत धारा-207 MV Act में सीज किया गया |

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम दो लोगों के साथ हमारे **दो अन्य साथी A-**विशाल भारद्वाज पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम अर्जुनडीहा भारीनाथ थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती व **B-**अमन सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी ग्राम काशीपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा (उ०प्र०), जोकि इस समय हमारे साथ वाहन स्विफ्ट कार गाड़ी संख्या-UP51BU5308 में नही है | हम लोगों के पास जो स्विफ्ट कार है, वह **C-**अभिषेक यादव पुत्र राधेकृष्ण यादव निवासी ग्राम बेलसड थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती की है, जिसने हमें यह गाड़ी दी है, उसी के पास कोड रहता है जो हम लोगो को बताता है एवं उसी के कहने पर हम लोग गाड़ी उठाने के बाद पहले पैसे की मांग करते है, जिस पर यदि हमें पैसे नहीं मिलते हैं तो जिनके पास गाड़ी रहती है उसे मृत्यु एवं गंभीर चोट का भय दिखाकर वाहन को अवैध रूप से कब्जे में लेते हुए उसके बदले में पैसे की मांग करते है एवं पैसा न देने पर गाड़ी लेकर चले जाते है जिसे वापस भी नहीं करते है |

गिरफ्तार अभियुक्त 1- आदर्श सिंह का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-940/2023 धारा-323, 504, 506 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा (उ०प्र०) |
2- मु0अ0सं0-238/2026 धारा-308(5), 317(2), 61(2) BNS थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |
3- मु0अ0सं0-241/2026 धारा-308(5), 317(2), 61(2) BNS थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |

गिरफ्तार अभियुक्त 1- शशांक पांडेय का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-065/2023 धारा-323/504/506 IPC थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती |
2- मु0अ0सं0-014/2025 धारा-125, 126(2), 351(2), 352 BNS व धारा-184 मोटर अधिनियम-1988 थाना हरैया जनपद बस्ती|
3- मु0अ0सं0-238/2026 धारा-308(5), 317(2), 61(2) BNS थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |
4- मु0अ0सं0-241/2026 धारा-308(5), 317(2), 61(2) BNS थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष कप्तानगंज आलोक श्रीवास्तव जनपद बस्ती |
2- उ0नि0 मो0 रफी खान, उ0नि0 श्री अनिल कुमार त्रिपाठी थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |
3- हे0का0 प्रदीप कुमार सिंह, हे0का0 गणेश कुमार सिंह, का0 अभिमन्यु शर्मा, पंकज सिंह, जय प्रकाश यादव, रि0का0 आशु जायसवाल थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |

आवश्यक सूचना-

जनपद बस्ती पुलिस आमजन से अपील करती है कि कुछ अवैध एवं फर्जी फाइनेंसर/ व्यक्ति पूर्व में कोई वैध नोटिस दिए बिना या वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना सड़क पर राहगीरों की गाड़ियां जबरन कब्जे में लेकर उन्हें धमकी देकर पैसे की मांग कर रहे हैं एवं पैसा न देने पर वे गाड़ी अपने कब्जे में लेकर चले जाते हैं, ऐसे फर्जी फाइनेंसरों के झांसे में बिल्कुल न आएं |
किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना पूर्व नोटिस व वैध दस्तावेजों के आपकी गाड़ी छीनकर जबरन पैसे मांगने का प्रयास करने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दें या नजदीकी पुलिस से संपर्क करें | पुलिस प्रशासन ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है | जन सहयोग से ही इन गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है |

मिशन शक्ति केन्द्र
थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती
Mob 9454403114
प्रशासनिक भवन
थाना-कप्तानगंज
जनपद - बस्ती
साइबर हेल्प डेस्क थाना कप्तानगंज- बस्ती
1930
112
UP51BU5308